


२२/५/२५

पत्रावली पेश हुई। क्वीस डिप्टीवर उप.
तहसीलदार सांगानेर से पालना रिपोर्ट
हाफ्त हुई नियम व डिप्टी की पालना
राजस्व रिपोर्ट में हो चुकी है, ऐसी
स्थिति में उक्त प्रकार की कार्यवाही
ड्रॉप की जाती है। पत्रावली कुल
संख्या होकर दज नं० से कम की
जाकर बाद तहसील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

